

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

-विज्ञप्ति-

-एम०डी०/एम०एस० (आयुर्वेद) एवं एम०डी० (होम्योपैथी) काउंसिलिंग कार्यक्रम-

मध्यप्रदेश स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2019 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालय, जिन्हें आयुष मंत्रालय भारत सरकार व प्रदेश शासन से मान्यता/प्रवेशानुमति तथा म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हो चुकी है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाइन काउंसिलिंग (mponline) के माध्यम से संपन्न होगी। प्रवेश काउंसिलिंग अंतर्गत पंजीयन, अभिलेख सत्यापन, मैरिट प्रकाशन एवं प्रथम चरण का आनलाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1/

क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 24/8/2019 से 2/9/2019 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 24/8/2019 से 3/9/2019 प्रातः 11 से सायं 05 बजे तक
2	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 4/9/2019

2/

प्रथम चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम-

1	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों/पाठ्यक्रम की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 5/9/2019 से 8/9/2019 रात्रि 11:59 बजे तक
2	सीट आवंटन	दिनांक 12/9/2019
3	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 13/9/2019 से 17/9/2019 तक

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- ऑनलाइन काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार में मान्यता हेतु लंबित आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर स्नातकोत्तर प्रवेश नियम के नियम-24 अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
- 3- प्रवेश नियम-2019 www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ० शोभना शुक्ला)
प्र०संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म०प्र०